

**मत्स्य पालन विभाग हरियाणा
अपील**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब मत्स्य नियमावली 1914 तथा उसके अधीन बनाए गये हरियाणा मत्स्य नियम 1996 के अर्न्तगत राज्य के अधिसूचित पानियों में 1-7-2014 से 31-8-14 तक जालों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति जालों द्वारा अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ता है तो उसके विरुद्ध मत्स्य नियमावली के अंतर्गत दर्शाई गई धारा के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के अधिसूचित पानियों में हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 की धारा-75 के अर्न्तगत बिजली के करंट, डायनामाईटिक अथवा किसी हानिकारक विष्फोटक पदार्थ से मछली पकड़ना/मारना भी कानूनन जुर्म है।

सर्व साधारण से अपील की जाती है कि हरियाणा राज्य के प्राकृतिक पानियों में मछली सम्पदा को बढाने के लिये मत्स्य विभाग को सहयोग दे तथा मछली प्रजनन के समय माह जुलाई व अगस्त में अधिसूचित पानियों में मछली का शिकार ना करें।

हस्ता/-
(डा० जी० एस० जाखड)
निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला।